इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 304] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई 2013—आषाढ़ 18, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. 15413-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 9 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०१३.

दंड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१३

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१३ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक २ सन् १९७४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा २५क का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा २५ क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अभियोजन संचालनालय.

"२५ क. (१) राज्य सरकार, एक संचालक, अभियोजन तथा उतनी संख्या में, जितनी कि वह ठीक समझे, अतिरिक्त संचालक, अभियोजन, संयुक्त संचालक, अभियोजन, उप संचालक, अभियोजन तथा सहायक संचालक, अभियोजन से मिलकर बनने वाला एक अभियोजन संचालनालय स्थापित कर सकेगी.

(२) संचालक, अभियोजन, अतिरिक्त संचालक, अभियोजन, संयुक्त संचालक अभियोजन, उप संचालक, अभियोजन तथा सहायक संचालक, अभियोजन के पद तथा अन्य पद समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश लोक अभियोजन (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, १९९१ के अनुसार भरे जाएंगे.

(३) अभियोजन संचालनालय का प्रमुख, संचालक, अभियोजन होगा जो राज्य में गृह विभाग के प्रमुख के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा.

(४) प्रत्येक अतिरिक्त संचालक, अभियोजन, संयुक्त संचालक, अभियोजन, उप संचालक, अभियोजन तथा सहायक संचालक, अभियोजन तथा उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट अन्य पद संचालक, अभियोजन के अधीनस्थ होंगे.

(५) मध्यप्रदेश लोक अभियोजन (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, १९९१ के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक और अतिरिक्त लोक अभियोजक संचालक, अभियोजन के अधीनस्थ होंगे तथा उच्च न्यायायलय में मामलों का संचालन करने के लिये धारा २४ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक, तथा अतिरिक्त लोक अभियोजक तथा धारा २४ की उपधारा (८) के अधीन नियुक्त प्रत्येक विशेष लोक अभियोजक महाधिवक्ता के अधीनस्थ होंगे.

(६) जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिये धारा २४ की उपधारा (३) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक तथा अतिरिक्त लोक अभियोजक तथा धारा २४ की उपधारा (८) के अधीन नियुक्त प्रत्येक विशेष लोक अभियोजक, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे.

(७) संचालक, अभियोजन की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन.

दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २), दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, २००५ (२००५ का २५) द्वारा संशोधित की गई थी. उक्त संशोधन दिनांक २३ जून, २००६ से प्रवृत्त हुआ. उक्त संशोधन के द्वारा एक नई धारा २५ क अन्त:स्थापित की गई जिसके अनुसार संचालक, अभियोजन तथा उतनी संख्या में, जितनी कि राज्य सरकार उचित समझे, उप संचालक, अभियोजन से मिलकर बनने वाला एक अभियोजन संचालनालय स्थापित किया जा सकेगा. यह और भी कि उक्त धारा की उपधारा (२) के अनुसार कोई व्यक्ति संचालक, अभियोजन अथवा उप संचालक, अभियोजन के रूप में नियुक्त होने के लिये केवल तभी पात्र होगा जबकि वह अधिवक्ता के रुप में दस से अनधिक वर्ष तक विधि व्यवसाय कर चुका हो और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जाएगी.

२. दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ के लागू होने के पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य में वर्ष १९८७ में, प्रभावी और स्वतंत्र अभियोजन के लिये गृह विभाग के अधीन एक अभियोजन संचालनालय स्थापित किया गया था जो प्रभावी तरीके से कार्य कर रहा है. चूंकि मध्यप्रदेश राज्य में दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा २४ की उपधारा (६) के निबंधनों के अनुसार अभियोजन अधिकारियों का एक नियमित संवर्ग विद्यमान है, अत: यह आवश्यक समझा गया कि मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २५ क में आवश्यक संशोधन किए जाएं ताकि सरकार को मध्यप्रदेश लोक अभियोजन (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, १९९१ के अनुसार संचालक, अभियोजन, अतिरिक्त संचालक, अभियोजन, संयुक्त संचालक, अभियोजन, उप संचालक, अभियोजन तथा अन्य अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिये समर्थ बनाया जा सके.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा
भारसाधक सदस्य.

भोपाल :
तारीख : ६ जुलाई, २०१३.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.